समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक 10.07.2017 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 10.07.2017 को समय सीमा बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, वन मण्डल अधिकारी, अपर कलेक्टर प्रथम एवं द्वितीय तथा नगर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे। नगर निगम, डी.पी.सी., पशु चिकित्सा वि.वि., जिला आयुष अधिकारी, सहायक आयुक्त आबकारी, सहायक खाद्य नियंत्रक, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, जन अभियान परिषद, गृह निर्माण मंडल के अधिकारी अनुपस्थित रहे।

1. **वृक्षारोपण :–** 2 जुलाई को आयोजित वृहद वृक्षारोपण अभियान में सभी लोगों ने पौधे लगाये है। उत्साह भी अच्छा रहा है। लक्ष्य अनुसार पौधे लगाये गये है। उन्हें अब संरक्षण की आवश्यकता है। सुरक्षा की गारंटी अपने–अपने स्तर पर सभी जिला अधिकारियों की होगी। 2 जुलाई के बाद पौधा रोपण निरंतर किया जाकर 15 अगस्त तक 01 करोड़ का लक्ष्य पूर्ण करना है। वृक्षारोपण स्थल पर फैंसिंग कराया जाये बजट की कमी नही होगी। पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था कि लम्हेटाघाट में पौधारोपण क्षेत्र में फैसिंग कराये जाने हेतु भेड़ाघाट नगर पंचायत, एस.डी.एम. जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री आर.ई.एस. को समन्वयक प्रयास के निर्देश दिये गये। लगभग 250 डेयरी क्षेत्रों में डेयरी का नाम तथा प्रत्येक में कितने पौधे रोपित किये गये तथा किये जाना है। की सूची एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश उप संचालक पशु चिकित्सा को दिये गये। बैठक में उपस्थित वन मण्डल अधिकारी द्वारा सभी को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया कि गीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड हेतु डाक्यूमेंटेशन किस तरह से किया जाना है। जिले में 3767 क्षेत्र/साईड के कोड/स्टेट कोड एवं सीरियल नम्बर मिले है। दो गवाह एवं एक स्टीवर्ट की डियूटी लगी है। उन सबका डाक्यूमेंटेशन होना है। गवाह एवं स्टीवर्ट के नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूची तथा पौधे के नाम जो की अंग्रेजी एवं बटानिकल नाम में दिये जाना है। वृक्षारोपण की पूर्ण प्रक्रिया के फोटोग्राफ तथा वीडियोंग्राफ के सबूत साफ्टकापी में तैयार किये जाने है। प्रत्येक जिला अधिकारी को डाक्यूमेंटेशन हेतु निर्देश दिये गये।
2. **सी एम हेल्पलाईन :–** आज के समय में सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों का शिकायतकर्त्ता की संतुष्टी के साथ निराकरण किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है इसे सभी अधिकारी अत्यंत गंभीरता से ले शिकायतों के निराकरण करते समय पोर्टल पर तथ्यात्मक विवरण दर्ज किये जाये। सी.एम. हेल्पलाईन में रेंकिंग की जा रही है। एल–1 स्तर पर निराकरण होने पर सर्वाधिक अंक मिलेगें इसके बाद उच्च स्तर पर निराकरण पर 20 प्रतिशत अंक कम हो जायेगें 100 दिवस से अधिक होने पर खराब परफारमेंस मानी जायेगी। प्रायः देखने में आ रहा है कि कार्य प्रगति का पिरामिंड उलटा हो रहा है। एल–1 स्तर पर कम तथा एल–4 स्तर पर अधिक शिकायतें दिख रही है। जिला कार्यालय (राजस्व) जिला पंचायत, नगर निगम, उर्जा, पुलिस, पी.एच.ई. तथा अन्य विभाग की रेंकिंग की समीक्षा अगले सोमवार को मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं की जायेगी।

3. **जनसुनवाई** :– पूर्व बैठक में दिये गये निर्देश अनुसार प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में अब आवेदकों को अपना आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा। राज्य शासन द्वारा जनसुनवाई में नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत् जनसुनवाई के आवेदनों को सी.एम. हेल्पलाईन के पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है तथा इनका निराकरण भी सी.एम. हेल्पलाईन के समान किया जाना है। सभी को उक्त संबंध में सकारात्मक तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिये गये। चूंकि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायते सी.एम. हेल्पलाईन से लिंक हो गई है। प्रबंधक लोक सेवा को निर्देश दिये गये कि सभी विभागों में की जाने वाली जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को सी.एम. हेल्पलाईन में दर्ज कराये।

4. **समाधान ऑनलाईन** :– पूर्व बैठक में दिये गये निर्देश अनुसार विभागीय अधिकारीवार जिम्मेदारी नियत की जाकर शतप्रतिशत निराकरण के प्रयास किये जाए। प्रधानमंत्री की वेब साईट पोर्टल पर लंबित शिकायतो की विभागवार समीक्षा की गई। अपेक्षा की जाती है कि किसी भी विभाग का प्रश्न न आए। तेजी से लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जाए। तथा प्रत्येक शिकायतकर्ता से बात की जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी एवं मुख्य सचिव से सीधे मिलने वाले, तथा प्रमुख सचिव द्वारा ही वें शिकायतें उठाई जाती है जिनका समाधान नही हुआ है। तथा सी.एम. हेल्प लाईन से भी शिकायतें समाधान ऑन लाईन में चयन की जाती है। विभागवार समीक्षा की गई। आज ही निराकरण कराए। राज्य शासन एवं पी.एम.ओ. पोर्टल की शिकायतें का त्वरित निराकरण करायें।

5. **स्वच्छ भारत** :– पूर्व बैठकों से लगातार निर्देश दिए जा रहे है कि पूरे भारत में जबलपुर शहर को अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान के रूप में चुना गया है इस संबंध में सभी विभाग कार्य करना सुनिश्चित करें। खुले में शौंच से मुक्त बनाये जाने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाये। सभी पंचायतो को ओ.डी.एफ. करना है। स्वच्छता अभियान तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में जिला पिछड़ रहा है। इसकी गंभीरता से समीक्षा की जाये। एक सप्ताह में कम से कम दो तहसील एवं ब्लाक की समस्या सुलझाई जाये। सर्व संबंधित को निर्देश दिये गये।

6. **दिव्यांग** :– पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि नवाचार करते हुये दिव्यांगों द्वारा पौधारोपण कराया जाना है तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। दिव्यांगों को निराश्रित निधि से पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश संयुक्त संचालक सामजिक न्याय को दिये गये। उन्हें अच्छी किस्म के तथा स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराये जाये। इसके पालन में जिले को महत्वपूर्ण उल्लेखनीय सफलता मिली है। दिव्यांगों के क्षेत्र में पौधारोपण में जबलपुर जिले के प्रयासों को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई है। डॉ रामनरेश तथा संयुक्त संचालक पंचायत बधाई के पात्र है। इस क्षेत्र में पूरे प्रदेश में जबलपुर की अलग पहचान बनी है। जिले के प्रत्येक शासकीय कार्यालयों/भवनों में रेम्प होना अनिवार्य है। यह भारत सरकार के निर्देश है। इसके पालन हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

7. **नर्मदा की तीनों सहायक नदियां :–** पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि इन नदियों के संरक्षण, पर्यावरण पर कार्य किया जाये इनके शुद्वीकरण, प्रदूषण मुक्ति पर कार्य किया जाये अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के निर्देश दिये गये। इन नदियों के बेसिन में वृहद वृक्षारोपण किया जाये। इसके पालन में इन नदियों के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण किया गया है। जो कि 15 अगस्त तक आगे भी निरंतर किया जाना है।

8. **आई.एस.ओ. :–** पूर्व बैठको से लगातार निर्देश दिये जा रहे है। तैयारी अंतिम स्थिति में है 15 अगस्त के पहले आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन पूर्ण कराया जाये। कार्यालय कलेक्टर परिसर में व्यापक वृक्षारोपण किया जाये। किसी भी बडी नर्सरी से सर्म्पक किया जाकर यह कार्य पूर्ण कराने के निर्देश अपर कलेक्टर प्रथम को दिये गये थे।

9. **किसानों की समस्याओं का निराकरण :–** पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि जिला ई–गर्वेनेंस ने एक एप तैयार किया है जिसमें किसानों क समस्याओं एवं निराकरण की जानकारी दर्ज की जाना है। प्रभारी उप संचालक कृषि से श्री डी.डी. विश्वकर्मा को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ब्लॉक में एक केन्द्र अथवा शिकायत पेटी रखवाई जाये जिसमें किसानों की समस्याओं के आवेदन प्राप्त हो जी.एम.सी.सी.बी. एवं डी.आर.सी.एस. भी इसका फालोअप करेंगे। किसानों की समस्याओं का समुचित निराकरण तत्परता से किया जाना है। किसानों की शिकायते प्राप्त हो रही है कि मूंग एवं उड़द की तुलाई खरीदी केन्द्रों पर ठीक तरह से नही की जा रही है। इसके शत प्रतिशत परीक्षण के निर्देश अपर कलेक्टर ग्रामीण को दिये गये। समुचित रोस्टर बनाकर उड़द मूंग की तुलाई एवं खरीदी की जाये। ताकि भीड़ न लगे एवं किसानों को असुविधा न हो किसानों का भुगतान न रोके। वेयर हाउसिंक कार्पोरेशन की कार्य प्रणाली असंतोषप्रद पाये जाने नाराजगी व्यक्त की गई। एक भी किसान को असंतुष्टी न हो इसके कड़े निर्देश दिये गये। डी.आर.सी.एस., जी.एम.सी.सी.व्ही., डी.डी.ए. को निर्देश दिये गये कि नकली खाद् की जॉच की जाये एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाये।

10. **लोक सेवा गारंटी :–** लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सभी सेवायें जो अधिसूचित हो गई है। उनके आवेदन लोक सेवा केन्द्र में दर्ज कराये जाये। राजस्व विभाग के लंबित प्रकरण जो रेड जोन आये है। उनका आज ही रिव्यू किया जाना है। तदानुसार अपर कलेक्टर–3 को निर्देश दिये गये। जिले के लोक सेवा केन्द्रो हेतु आबंटन आ गया है। राशि विड्रा कराने हेतु अपर कलेक्टर को निर्देश दिये गये।

11. **फूड एवं क्राफ्ट इंस्टीट्यूट :–** पर्यटन विभाग के तहत डुमना नेचरल पार्क में 4–5 ऐसे कोर्स खोले गये है। जिनमें योग्य छात्रों का एडमिशन कराया जा सकता है। इसकी जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दी गई।

12. **भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन :–** सभी को निर्देशित किया गया कि भ्रष्टाचार के विरूद्व मुहिम चलाई जा रही है। भ्रष्टाचार मुक्त सभी शासकीय कार्यालयों को बनाया जाना है।

13. **डेंगू एवं अन्य रोगों की रोकथाम :–** साफ–सफाई के समुचित प्रबंध किये जाये। वर्षाकाल में होने वाली आम बीमरियों एवं डेंगू रोग के रोकथाम हेतु सी.एम.एच.ओ. एवं सर्व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

14. **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना :–** प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना में जबलपुर जिले को द्वितीय पुरूस्कार मिला है। यह प्रसन्नता का विषय है। सर्व संबंधित को बधाई दी गई।

जनप्रतिनिधियों, कमिश्नर कार्यालय, लोकायुक्त तथा आर्थिक अपराध ब्यूरो, मानव अधिकार आयोग तथा अन्य विभागों की शिकायतों एवं समय सीमा के प्रश्नों की विभागवार समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाई जाए।

उक्त निर्देशों के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

कलेक्टर
जबलपुर

5262
पृ.क्र/ 5262 /अधीक्षक/टी.एल/2017 जबलपुर दिनांक 11 जुलाई, 2017.

प्रतिलिपि :–

1. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
2. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जबलपुर